न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

01. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2965 सन् 2026
(CNR NO. UPBU01-007890-2026)

हेम सिंह उर्फ आशु पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

एवं

02. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2966 सन् 2026
(CNR NO. UPBU01-007891-2026)

युवराज वर्मा उर्फ यश पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

एवं

03. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 2967 सन् 2026
(CNR NO. UPBU01-007892-2026)

आर्यन सिंह पुत्र श्री रविन्द्रपाल, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर।

..... आवेदक–अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

एवं

04. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3049 **सन् 2026**
(CNR NO. UPBU01-008004-2026)

ध्रुव कुमार पुत्र मनोज कुमार, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–368 सन् 2026,
अन्तर्गत धाराः–109(1), 115(2), 351(3), 352, 191(2) व 3(5) बी.एन.एस.
थानाः–कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।

–:: निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व संव्यवहार से संबंधित हैं। अतः उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्रों को समेकित कर उनका निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है। जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2965 सन 2026 को अग्रणी जमानत प्रार्थनापत्र घोषित किया जाता है।

02. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

04. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा श्रीमती प्रियंका ने थाना हाजा पर सूचना दी कि वादिया की पुत्री हिमांशी के साथ 2025 में शिवम व यश ने छेड़छखानी व

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.07.01 19:42:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वदतमीजी कर दी थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 81 सन् 2025 धारा 48,74,115(2),352, 351(3),126(2) बी.एन.एस व धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट दर्ज है, इसी बात की रंजिश मानते हुए शिवम, देव, यश, आर्यन, आशु, ध्रुव ने दिनांक 22.05.2026 को समय करीब 06.30 बजे शाम अपने हाथों में लाठी, डण्डे व गाली गलौंच करते हुए अपने हाथों में लाठी डण्डे व लात घूसों से मारपीट करने लगे, प्रियंका दिनेश, हिमांशी के काफी गम्भीर चोट आयी। शोर पर आसपास के लोगों ने बचाया, जाते समय जान से मारने की धमकी दे गये कि आज तो बचा लिया है आगे जिन्दा नहीं छोड़ेगे। वादिया ने 112 नम्बर पर सूचना दी। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

05. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्होने कोई अपराध नहीं किया। आवेदकगण/अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। आवेदकगण/अभियुक्तगण 26.05.2026 से जेल में है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

06. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) तथा वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दो बार अपराध कारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इन कथनों के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

07. अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

08. अभियोजन के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर प्रकरण के अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर वादनी व वादनी के परिजनों के साथ गाली गलौंच करते हुए मारपीट कर, जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित है।

चोटहिल हिमांशी की चिकित्सीय आख्यानुसार उसके शरीर पर 06 चोटें, जिनमें चोट संख्या–01, 03 व 04 लाल निलगू निशान की क्रमशः गर्दन, भूजा, चोट संख्या–02 गर्दन पर रेखांकित खरोंच, चोट संख्या–5 व 6 खरोंच क्रमशः नाक व पैर की छोटी अंगूली पर आना तथा सभी चोटों को साधारण प्रकृति होना दर्शित किया गया है।

चोटहिल देवी की चिकित्सीय आख्यानुसार, उसके शरीर पर 06 चोटें, जिनमें से चोट संख्या–01 व 05 फटे हुए घाव की क्रमशः सिर व बॉये हाथ की कोहनी पर, चोट संख्या–2 चोट मूलक सूजन सिर पर, चोट संख्या–3 खरोंच की सीने पर, चोट संख्या–04 व 06 लाल निलगू निशान की क्रमशः पीठ पर चोट संख्या–07 पैर में दर्द की शिकायत आना, जिसमें चोट संख्या–01, 02 व 03 को निरीक्षणाधीन रखते हुए एक्सरे हेतु सन्दर्भित किये जाना तथा शेष चोटों को साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया गया है। चोटहिल की एक्सरे चिकित्सीय आख्या में कोई अस्थिभंग होना दर्शित नहीं है।

प्रकरण के चोटहिल के किसी मर्म भाग पर गम्भीर व प्राणघातक चोट आना दर्शित नहीं है। प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपरधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार 01. आवेदक/अभियुक्त हेम सिंह उर्फ आशु की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2965 सन् 2026, 02. आवेदक/अभियुक्त युवराज वर्मा उर्फ यश की ओर से प्रस्तुत का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2966 सन् 2026, 03. आवेदक/अभियुक्त आर्यन सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संख्या 2967 सन् 2026 तथा आवेदक/अभियुक्त ध्रुव कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3049 सन् 2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

01. आवेदक/अभियुक्त हेम सिंह उर्फ आशु की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2965 सन् 2026, 02. आवेदक/अभियुक्त युवराज वर्मा उर्फ यश की ओर से प्रस्तुत का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2966 सन् 2026, 03. आवेदक/अभियुक्त आर्यन सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संख्या 2967 सन् 2026 तथा आवेदक/अभियुक्त ध्रुव कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3049 सन् 2026 स्वीकार किये जाते हैं। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा पृथक–पृथक रूप से अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो–दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तो के अधीन उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाए:–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेंगे।

3. आवेदकगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदकगण/ अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

इस आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2966 सन् 2026, 2967 सन् 2026 तथा 3049 सन् 2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 01.07.2026

आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015

सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0,